कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म०प्र०)

जिला न्यायालय टीकमगढ में अस्थायी रूप से एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन हेतु विज्ञप्ति

क्रमांक. /.350 /2024 टीकमगढ़, दिनांक...14./10/2024

जिला न्यायालय टीकमगढ़ में अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये MP Online Kiosk Centre संचालन हेतु इच्छुक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क संचालकों से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2024 के दोपरह 2.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र का प्रारूप, शर्तें नजारत अनुभाग जिला न्यायालय टीकमगढ़ से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क राशि 250/-रूपये का चालान द्वारा शासकीय मद 0070 अन्य प्रशसनिक सेवाये 800 मे जमा कर मूल रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं आवेदनपत्र की राशि किसी भी स्थिति मे वापिसी योग्य नही होगी ।

इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र भरकर, शर्तों पर हस्ताक्षर कर तथा आवेदन शुल्क राशि का मूल चालान एवं उल्लेखित जमा राशि की एफ.डी.आर./सुरक्षानिधि संलग्न कर बंद लिफाफे में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय टीकमगढ़ को उक्त दिनांक तक प्रेषित/प्रस्तुत करें साथ ही विस्तृत निविदा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं जिला न्यायालय टीकमगढ की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in/tender और districts.ecourts.gov.in/india/mp/tikamgarh/tender पर देखा जा सकता है ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म.प्र.)

जिला न्यायालय टीकमगढ में अस्थायी रूप से एम.पी.ऑनलाईन. कियोस्क संचालन हेतु शर्तें:–

1. जिला न्यायालय परिसर टीकमगढ़ में एम.पी.ऑनलाईन अधिकृत कियोस्क/पोर्टल को संचालित करने हेतु आवेदन करते समय रूपये 35,000/– (रूपये पैंतीस हजार) की जमा राशि/सुरक्षा निधि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ के नाम से एफ.डी.आर. के जमा करवानी होगी।

2. सफल आवेदनकर्ता के अलावा शेष आवेदनकर्ताओं से प्राप्त हुई जमा राशि/सुरक्षा निधि कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित आवेदनकर्ताओं को वापस कर दी जावेगी।

3. एम.पी. ऑनलाईन अधिकृत कियोस्क/पोर्टल का संचालित करने हेतु स्थान के रूप में एक कमरा विन्डो काउंटर सुविधा सहित उपलब्ध कराया जाएगा एवं विद्युत जिला न्यायालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

4. सफल आवेदक को न्यायालय परिसर में एक वर्ष के लिए सेंटर के संचालन की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात् समयावधि बढाए जाने का निर्णय समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ के द्वारा लिया जाएगा।

5. आवेदक के पास कम से कम तीन वर्ष का कियोस्क संचालन का अनुभव होना आवश्यक है। आवेदन करते समय लाईसेंस एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

6. सफल आवेदनकर्ता को कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट सुविधा, बायोमैट्रिक डिवाइस, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि की व्यवस्था, स्वयं के व्यय पर करनी होगी। इसके अतिरिक्त सफल आवेदनकर्ता को पी.ओ.एस. मशीन एवं क्यू.आर. कोड रखना अनिवार्य है। उक्त समस्त उपकरणों के रख–रखाव एवं सुरक्षा का दायित्व सफल आवेदनकर्ता का ही रहेगा।

7. सफल आवेदनकर्ता को यह सुनश्चित करना होगा कि जो राशि रूपये के माध्यम से जिला न्यायालय में स्थापित एम.पी. ऑनलाइन सेंटर में जमा हो रही है उसे किसी भी स्थिति में न्यायालय परिसर में नहीं रखा जाकर प्रतिदिन बैंक में जाकर जमा करवाना आवश्यक होगा।

8. आवेदनकर्ताओं को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से बैंक में किये गये लेनदेन का तीन साल का स्टेटमेंट एवं आवेदन दिनांक में वॉलेट में जमा राशि की जानकारी प्रदान करना होगी।

9. सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सात दिवस के भीतर एम.पी. ऑनलाईन वॉलेट में कम से कम राशि 10,00,000/– (दस लाख रूपए) रखे होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

10. सफल आवेदनकर्ता को जिला न्यायालय में स्थापित होने वाले एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क में कम से कम 02 कर्मचारियों की न्यायालयीन कार्य दिवस या जब प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा आदेशित किया जाये, की ड्यूटी आवश्यक रूप से लगानी होगी, जिनकी शैक्षणिक योग्यता पीजीडीसीए या उसके समकक्ष हो। किसी भी स्थिति में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कियोस्क बंद नहीं रखा जायेगा।

11. सफल आवेदनकर्ता को तीन दिवस के अंदर कियोस्क का पता बदलवाकर जिला न्यायालय टीकमगढ़ का करवाना होगा। सफल आवेदनकर्ता को सात दिवस के भीतर एम. पी. ऑनलाईन कियोस्क जिला न्यायालय टीकमगढ़ में स्थापित कर प्रारंभ करना होगा।

12. सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा तय की गई निर्धारित दर/पोर्टल फीस अनुसार सेवायें प्रदान करनी होगी। सफल आवेदनकर्ता को दरों की सूची एवं प्रदान की जाने वाली सेवायें बैनर/फ्लेक्स के माध्यम से निर्धारित कमरे के बाहर चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

13. यह कि आवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक या प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्य दिवस पर कियोस्क सेंटर को खोलकर आम जनों को सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।

14. आवेदक कियोस्क सेंटर में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

15. प्राप्त आवेदन दिनांक ......09.../..11......../2024 को दोपहर 02 बजे प्रशासकीय समिति जिला न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष खोले जाएंगे। सफल आवेदनकर्ता का चयन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा किया जाएगा तथा उनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

16. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ को यह अधिकार होगा कि ऑनलाईन कियोस्क सेंटर हेतु दिए गए स्थान से संचालक को किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह के नोटिस पर कियोस्क सेंटर हटाने का आदेश दे सकते हैं।

17. आवेदन के समय आवेदनकर्ताओं को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध या उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। सफल आवेदनकर्ता का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा।

18. यदि सफल आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार की अनियमितता, तय दर से ज्यादा रूपये, वसूलने, शासकीय संपत्ति का नुकसान करने, न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं अधिवक्तागण/पक्षकारगण से दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है या ऐसा अन्य कार्य कोई जिससे कि शासन के नियतों को उल्लंघन हो, तो कियोस्क संचालक की जमा राशि में रूपये 1000/– प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जावेगी। यदि 01 वर्ष में अगर 35 दिन पेनाल्टी लगती है तो आवेदनकर्ता का आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगा एवं उसे 03 दिन में ऑनलाईन कियोस्क सेंटर को नियत स्थान से खाली करना होगा।

19. यदि कियोस्क संचालन के कार्य में अनियमितता/लापरवाही पायी जाती है या उसके द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे उस स्थिति में उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

20. सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक के विरूद्ध पेनाल्टी लगाने या शर्तों का उल्लंघन करने पर की जानी वाली कार्यवाही में अंतिम निर्णय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ का होगा।

21- आवेदनकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ आवेदन फार्म का मूल्य 250/- रूपये का चालान द्वारा शासकीय मद 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाये 800 मे जमा कर मूल रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होने एवं आवेदनपत्र की राशि किसी भी स्थिति मे वापिसी योग्य नही होगी ।

आदेशानुसार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ

प्रारूप

जिला न्यायालय टीकमगढ में अस्थायी रूप से एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क संचालन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम..

2. अधार कार्ड/पैनकार्ड/वोटर आई0डी0 अन्य शासकीय दस्तावेज की प्रति एवं नंबर..

3. पिता/पति का नाम..

4. पता/मो.न. ....

....

....

5. सुरक्षा निधि की जानकारी एफ.डी.आर. नं..

बैंक का नाम..

6. कियोस्क पंजीयन कमांक ....

(कियोस्क संचालन के लायसेंस एवं तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

7. कियोस्क संचालन का वर्तमान पता ....

....

8. कियोस्क के वॉलेट से जुड़े बैंक संव्यवाहार का खाता कमांक, नाम एवं जमा राशि

....

....

(कियोस्क संचालन संबंध में बैंक से किये गये ऑनलाईन संव्यवहार की पिछले तीन वर्ष की छायाप्रति संलग्न है)

घोषण पत्र

मैं ....

यह घोषणा करता/करती हूं कि मैंने जिला न्यायालय टीकमगढ़ में अस्थायी रूप से एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन करने के संबंध में सभी शर्तों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लिया है तथा मेरे द्वारा उपरोक्त बिंदु कमांक 01 से 08 तक जो जानकारी भरकर तथा संलग्न कर प्रस्तुत की है वह पूर्ण रूप से सत्य व सही हैं।

टीकमगढ़, दिनांक..............................

हस्ताक्षर..............................

नाम, पता व मो.न..............................

....